

प्रेषक,

राम केवल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मऊ, बरेली, कानपुर देहात, कानपुर नगर एवं रामपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त पत्रों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित कृषकों, जिनको संगत वर्ष में कृषि निवेश अनुदान खाता संख्या त्रुटिपूर्ण होने, सस्पेक्ट होने एवं अन्य कारणों से ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के फलस्वरूप राहत सहायता की धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है, ऐसे कृषकों/लाभार्थियों के खाते में कृषि निवेश अनुदान की धनराशि दिये जाने हेतु इन कृषकों के डाटा का राहत आयुक्त के पोर्टल पर उपलब्ध होने की पुष्टि करते हुए सम्बन्धित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु **रु० 1,05,92,869/- (रुपये एक करोड़ पांच लाख बानब्बे हजार आठ सौ उन्हत्तर मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका में उल्लिखित जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र सं	जनपद का नाम	किसानों की संख्या	प्रस्तावित धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	मऊ	725	42,09,953/-
2	बरेली	34	1,23,455/-
3	कानपुर देहात	603	19,94,215/-
4	कानपुर नगर	170	5,90,337/-
5	रामपुर	962	36,74,909/-
योग		2494	1,05,92,869/-
(रुपये एक करोड़ पांच लाख बानब्बे हजार आठ सौ उन्हत्तर मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/10-2013-10(28)/2011, दिनांक- 10.10.2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय किया जायेगा। (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त /जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान ऑनलाइन माड्यूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेपेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
3. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1, दिनांक 11.07.2023, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा। वर्ष- 2023-24 से पूर्व भारत सरकार की जो गाईडलाइन प्रभावी थी, उसके मानक दरों के आधार पर कृषि निवेश अनुदान की गणना करते हुए भुगतान किया जायेगा।
4. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
5. वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।
6. निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
7. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाये तथा- माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण प पर अगले मनिर्धारित प्रारू05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
8. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोगसमर्पण के संबंध में शासनादेश सं/0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-य हस्तपुस्तिका खण्डपत्र विक्ती-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
10. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,05,92,869/- (रूपये एक करोड पांच लाख बानब्बे हजार आठ सौ उन्हत्तर मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 के लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(राम केवल)

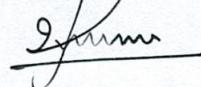
विशेष सचिव।

संख्या-217(1)/एक-10-2024, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,



(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

वरिष्ठ विज्ञान विभागाध्यक्ष (जानकारी)
राष्ट्रिय विज्ञान संस्थान
राष्ट्रिय विज्ञान संस्थान
राष्ट्रिय विज्ञान संस्थान

महोदय- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पाँच लाख बानवे हजार आठ सौ उनहत्तर
महोदय- (प्राप्ति आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौबालीस लाख उन्नीस हजार छः सौ बयासी

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान	प्राप्ति	योग
1	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 123455	प्राप्ति 1123455	123455
2	रामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 3674909	प्राप्ति 4674909	3674909
3	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 590337	प्राप्ति 1427150	590337
4	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 1994215	प्राप्ति 1994215	1994215
5	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान 4209953	प्राप्ति 5209953	4209953
		वर्तमान 10592869	प्राप्ति 14429682	10592869
				14429682

(धनराशि रु. में)

02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिसर्च फण्ड से व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

800 - अन्य व्यय

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

2245 - प्रारंभिक विपत्ति के कारण राहत (आयोजन-महदेय)

का आवंटन)

51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (वित्तीय वर्ष 2023-2024

001-217

217

लेखाधीनक:-

अनुदान संख्या:-

आवंटन आदेश संख्या:-

प्रमाण संख्या:-

आवंटन दिनांक-09/02/2024

वित्तीय वर्ष:-2023-2024

Allotment Grid Report